कार्यालय मध्य वृत्त वन विभाग,
स्टेशन रोड, जबलपुर-482001
दूरभांष - 0761-2624341,फैक्स-0761- 2625688
ई-मेल- cfjbp @ mp.gov.in

क्रमांक/सामान्य/ 11,104 जबलपुर/दिनांक/ 3/12/12

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कक्ष-संरक्षण)
सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल,

विषय :- न्यायालय अष्टम सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के यहां प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 230/12 दिनांक 20.11..2012.

निवेदन है कि डिन्डौरी सामान्य वनमंडल के अंतर्गत दिनांक 18.4.2011 को अवैध 55 बोरी हुई का बिना ट्रांजिट के परिवहन करते हुये ट्रक ट्रैक्स वाहन क्रमांक एम0पी0-20 जी0ए0 3228 को पकडा गया था इस संबंध में अवैध परिवहन के प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी एवं उपवनमंडल अधिकारी शहपुरा द्वारा कार्यवाही करते हुये आदेश क्रमांक 01 दिनांक 6.6.2011 से वाहन वन अपराध में प्रयुक्त किये जाने पर राजसात के आदेश पारित किये गये ।

वाहन मालिक द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर दिनांक 13.6.2011 से अपील प्रस्तुत की गई अपील प्राप्त होने पर इस कार्यालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये आदेश क्रमांक 568 दिनांक 29.10.2011 से प्रकरण के गुण दोष के आधार पर अपील अमान्य की गई ।

वाहन मालिक उक्त पारित आदेश से व्यथित होकर न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश जबलपुर म0 प्र0 के यहां दाण्डिक पुनरीक्षण 312/2011 दिनांक 18.11.2011 प्रस्तुत की गई । जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.4.2012 द्वारा निर्णय से यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त पारित आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा मानचित्र का अवलोकन कर अभिमत नहीं दिया गया एवं घटना स्थल एवं उसके आस-पास किसी पुल के आभाव मे वाहन उक्त स्थल पर किस प्रकार वाहन पार की गई थी यह स्पष्ट नहीं किया गया अतः प्रश्नागत आदेश अपास्त कर (प्रति प्रेषित) किया गया प्रकरण में प्राकृतिक न्याय नियमों का पालन करते हुये उभय पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के पश्चात उचित विशलेषण कर दो माह की अवधि में नवीन निर्णय आदेश पारित करें ।

न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त आदेश के परिपालन पुनः दोनों पक्षों को पुनः सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये आदेश क्रमांक 241 दिनांक 13.7.2012 से इस कार्यालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक 568 दिनांक 29.10.2011 की पुष्टि की गई ।

उक्त आदेश से दुखी होकर वाहन मालिक द्वारा पुनः अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के यहां दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 2301/12 दिनांक 13.8.2012 प्रस्तुत की गई माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश 20.11.2012 से पारित किया जिसमें इस कार्यालय द्वारा पारित आदेश किसी भी त्रुटि से ग्रस्त है बल्कि वह आदेश विधिपूर्ण है और पुष्ट की गई है । पारित आदेश की छाया प्रति आपके अवलोकनार्थ सादर संप्रेषित है संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक
मध्यवन वृत्त जबलपुर

अ.प्र.मु.व.सं.(संरक्षण)
म.प्र. भोपाल

8494
5/12/12

C:\Documents and Settings\HQGC\Desktop\RAJESH\vehicle.doc

न्यायालय : अष्टम् अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर, जिला जबलपुर, (म0प्र0)

(पीठासीन अधिकारी एम.एस.चन्द्रावत)

दांडिक पुनरीक्षण कं0 230/12 प्रस्तुती का दिनांक 13.08.2012

सोनू लाल साहू पुत्र गेंदालाल साहू,
उम्र 48वर्ष, निवासी ग्राम मेहदवानी,
तहसील शहपुरा, जिला डिण्डौरी (म0प्र0) :– पुनरीक्षणकर्ता

वि रु द्ध

01. म0प्र0शासन द्वारा वन विभाग जबलपुर,
वनसंरक्षक, जबलपुर म0प्र0

02. वन परिक्षेत्र अधिकारी, उपसंभाग मेहदवानी,
जिला डिण्डौरी म0प्र0 प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण साहू अधि. प्रत्यर्थी द्वारा श्री एस.के.सोनी अपर लोक अभियोजक

आ दे श
(दिनांक 20 नवंबर, 2012 को पारित)

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 बी के अंतर्गत यह पुनरीक्षण याचिका अपीलीय प्राधिकारी मध्य वन वृत्त जबलपुर के द्वारा अपील कमांक 6/2011 में दिनांक 13.07.2012 को पारित उस आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके कि द्वारा अपीलार्थी के स्वामित्व के वाहन मिनी ट्रक पंजीयन कमांक एमपी20/जीए/3228 के अधिहरण के संबंध में पुनरीक्षणकर्ता की अपील को निरस्त करते हुए प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वन मण्डलाधिकारी सामान्य शहपुरा के आदेश दिनांक 29.10.2011 की पुष्टि की गई है।

02. इस पुनरीक्षण याचिका के निराकरण के लिए मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.04.11 को रात लगभग 9:00 बजे वन रक्षक मेंहदवानी और अन्य स्टाफ के लोगों ने रात्रि गश्त के दौरान धुर्वा एवं नारंगी वनक्षेत्र के पास पी.डब्लू.डी. के मार्ग पर पंगनिया की तरफ से आते हुये वाहन मिनी ट्रक पंजीयन कमांक एमपी20/जीए/3228 कार्गो किंग ट्रेक्स को रोका और तलाशी लेने पर उसमें सफेद 55 बोरियों में सफेद छुई मिट्टी पाई, उस वाहन को धरमदास पिता गोकलदास चला रहा था, उस वाहन में उक्त धरमदास सहित 11 लोगों ने छुई मिट्टी भरी थी और उन लोगों ने तलाशी के समय बताया कि वे ग्राम पगनिया के पास नर्मदा किनारे से यह मिट्टी ला रहे हैं और उसे ग्राम इन्द्रा मोहगांव में बेचने के लिये ले जा रहे हैं, मौके पर ही उस वाहन को मिट्टी सहित जप्त किया गया और वन परिक्षेत्र में उसे सुरक्षित खड़ा किया गया, उस वाहन के चालक के

पास उस मिट्टी के परिवहन और विक्रय के संबंध में कोई रायल्टी और दस्तावेज नहीं थे, इस सूचना के आधार पर प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन दर्ज किया गया था, साक्षियों के बयान लिये गये और उस वाहन के अधिहरण के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा दिनांक 06.06.11 को उप वनमंडलाधिकारी के द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि यह वाहन वन अपराध के लिये प्रयुक्त किया गया था और वाहन स्वामी की उस अपराध के कारित किये जाने के संबंध में मनोनुकूलता थी और उसने उस वाहन के उपयोग के संबंध में सम्यक सावधानी नहीं बरती और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उस वाहन को राजसात करने का आदेश दिया, जिससे व्यथित होकर अपीली प्राधिकारी मध्य वृत्त जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जो दिनांक 29.10.2011 को अस्वीकार की गई थी, उससे व्यथित होकर पुनरीक्षण याचिका कमांक 312/11 प्रस्तुत की गई थी, वह याचिका दिनांक 10.04.2012 को स्वीकार की गई थी और अपीली प्राधिकारी के आदेश दिनांक 29.10.2011 को अपास्त करते हुए मामला इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि प्राकृतिक न्याय का पालन करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात् पुनः आदेश पारित किया जावे, तदनुसार मामले में पुनः कार्यवाही की गई और अपीली प्राधिकारी ने दिनांक 13.07.2012 को संशोधित आदेश पारित किया और उस वाहन को राजसात करने संबंधी उप वनमंडलाधिकारी के आदेश की पुनः पुष्टि की, जिससे कि व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

03. पुनरीक्षण याचिका में इस पुनरीक्षण के संबंध में यह आधार दर्शाया गया है कि छुई मिट्टी कक्ष कमांक 875ए के वन क्षेत्र से खोदकर प्रश्नगत वाहन में परिवहित की जाना बताई गई है, लेकिन उस तथ्य को सिद्ध नहीं किया गया है, मिट्टी खोदने के स्थान का नक्शा पंचनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है, कक्ष कमांक 875ए नर्मदा नदी के पार है, वहाँ जाने के लिए पक्का या कच्चा मार्ग उपलब्ध नहीं है और यह सिद्ध नहीं किया गया है कि प्रश्नगत वाहन कक्ष कमांक 875ए में किस मार्ग से पहुंचा था, अपील प्राधिकारी के द्वारा इस तथ्य पर विश्वास किया गया है कि उस वाहन में मिट्टी सिर पर होकर भरी गई थी, लेकिन उसके संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, छुई मिट्टी के वन सम्पदा होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, मामले में इस तथ्य को साबित नहीं किया गया है कि अवैध परिवहन और अवैध उत्खनन किया गया था, इस संबंध में कोई साक्ष्य और पंचनामा नहीं है कि किस कूप से कितने घन मिट्टी निकाली गई थी, जबकि पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह साबित किया गया है कि छुई मिट्टी ग्रामवासियों के घरों से संग्रहित की गई थी, इसलिए यह साबित नहीं है कि वन सम्पदा का अवैध परिवहन किया जा रहा था, स्थानीय खेत मालिक संतोष ने पटवारी को जॉच कार्यवाही नहीं करने दी, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये आदेश का वन अधिकारियों के द्वारा पालन नहीं किया गया है, छुई मिट्टी जप्त होने के पंच साक्षियों का परीक्षण नहीं किया गया है, संतोष की भूमि में छुई मिट्टी विद्यमान है, अभियोजन द्वारा बचाव साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है और उस तथ्य को अनदेखा किया गया है, उनकी साक्ष्य पर विचार नहीं किया

न दी। इस तरह संतोष के खेत में छुई मिट्टी उपलब्ध न होने के संबंध में कोई जांच नहीं हुई है। इसलिये ऐसी परिस्थिति में यह साबित नहीं माना जा सकता है कि वन विभाग के अतिरिक्त और किसी स्थान पर छुई मिट्टी उपलब्ध नहीं है।

09. परंतु इस न्यायालय के मत में यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उपरोक्तानुसार प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष वन विभाग की ओर से साक्षी बी.के.ज्योतिषी ने यह कथन किया था कि कम्पार्टमेन्ट नंबर 875 ए के अलावा कहीं भी किसी भी निजी खदान में छुई मिट्टी नहीं है। उस तथ्य को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई थी। साक्षी बी.के.ज्योतिषी को प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई सुझाव भी नहीं दिया गया था कि संतोष के खेत में छुई मिट्टी विद्यमान है और उसी स्थान से छुई मिट्टी लाई गई थी। इसलिये ऐसी परिस्थिति में बचाव साक्षी मन्नीदास, गुहादास के कथन के आधार पर यह सिद्ध नहीं माना जा सकता कि संतोष के निजी खेत में कोई छुई मिट्टी की खदान विद्यमान है और उसी स्थान से वह मिट्टी लाई गई थी।

10. यह भी उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष संतोष का कोई परीक्षण नहीं किया गया, न उसके स्वामित्व की भूमि के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी। इसलिये ऐसी परिस्थिति में भी उपरोक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि संतोष के निजी खेत में छुई मिट्टी की कोई खदान उपलब्ध है और जप्त की गई मिट्टी संतोष के निजी स्वामित्व से संबधित मिट्टी थी। बल्कि उपरोक्त साक्ष्य से यह विश्वसनीय रुप से साबित होता है कि उपरोक्त मिट्टी जो कि दिनांक 18.04.11 को पुनरीक्षणकर्ता के स्वामित्व के वाहन में पाई गई थी, वन विभाग के स्वामित्व के कम्पार्टमेंट नंबर 875ए में स्थित खदान से शारीरिक श्रम के द्वारा नर्मदा पार करके घरों में एकत्रित की गई थी और उसके उपरांत बेचने के लिये उपरोक्त वाहन में वह मिट्टी जप्त की गई थी। इसलिये आलोच्य आदेश विधिपूर्ण है और वह पुष्ट किये जाने योग्य है।

11. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से न्यायदृष्टांत **प्रकाश राय विरुद्ध स्टेट आफ एम.पी.** (2006(4) एम.पी.एच.टी.295) न्यायदृष्टांत **हरगोविन्द नगाइच विरुद्ध स्टेट आफ एम.पी. एवं अन्य** (2010(2)एम.पी.एल.जे.418) के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले में स्वयं वन विभाग के अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त मिट्टी को वन उत्पाद केवल उसी अवस्था में माना जा सकता है, जबकि वह वन विभाग के स्वामित्व की भूमि से लाई गई हो। निजी भूमि से प्राप्त की गई मिट्टी के संबंध में वन अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मामले में संकलित की गई साक्ष्य और प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किये गये प्रतिपरीक्षण से यह साबित है कि वह मिट्टी वन विभाग के स्वत्व की भूमि से लाई गई थी। इसलिये ऐसी परिस्थिति में यह साबित है कि वन अधिनियम की धारा 2(4)(iv) के अनुसार उपरोक्त मिट्टी वन उत्पाद है। इसलिये इस न्यायदृष्टांत से पुनरीक्षणकर्ता को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

12 पुनरीक्षणकर्ता की ओर से न्यायदृष्टांत **प्रकाश राय विरुद्ध स्टेट आफ एम.पी.** (उपरोक्त) के आधार पर यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वाहन स्वामी/पुनरीक्षणकर्ता को इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि उस वाहन का उपयोग वन अपराध के लिये किया जा रहा है और इस आधार पर आलोच्य आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है। लेकिन आलोच्य आदेश और उसके संबंध में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहन को वन उत्पाद के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने के समय उस वाहन को ड्राइवर धरमदास चला रहा था।

13. उस धरमदास का अधिहरण संबंधी कार्यवाही में बचाव साक्षी के रूप में पुनरीक्षणकर्ता की ओर से परीक्षण किया गया था और उसमें उसने बताया है कि पुनरीक्षणकर्ता ने उसे छुई मिट्टी ग्राम पगनिया से उपरोक्त वाहन में भरकर लाने के लिए कहा था और तद्नुसार वह उस वाहन में छुई मिट्टी ग्राम पगनिया से लेकर आ रहा था, स्वयं पुनरीक्षणकर्ता ने भी बचाव साक्षी के रूप में अपना परीक्षण किया था और उसमें उसने बताया है कि गुहादास ने उसे बताया था कि ग्राम पगनिया से छुई मिट्टी वाहन में भरकर मोहगांव लाना है और उसके लिए 1500/–रूपयों का भाड़ा तय हुआ था, तदनुसार उसने गुहादास के साथ धरमदास को अपना वाहन लाकर भेजा था और उसमें छुई मिट्टी लायी जा रही थी। इस बयान पर पुनरीक्षणकर्ता सोनूलाल के हस्ताक्षर भी हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि पुनरीक्षणकर्ता को यह ज्ञान नहीं था कि उस वाहन को छुई मिट्टी के परिवहन के लिए किराये पर लिया गया है या यह कि उसको यह ज्ञान नहीं था कि उस वाहन में छुई मिट्टी परिवहित की जाएगी। बल्कि ऐसी परिस्थिति में यह विश्वसनीय रूप से दर्शित होता है कि पुनरीक्षणकर्ता इस तथ्य से भली भांति अवगत था कि उस वाहन में छुई मिट्टी का परिवहन किया जावेगा।

14. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत किये गये इस अंतिम तर्क के संबंध में कि पुनरीक्षणकर्ता को इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि छुई मिट्टी का परिवहन अपराध की श्रेणी में आता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विधि का अज्ञान विधि की दृष्टि में कोई बचाव नहीं है। जब प्रस्तुत की गई साक्ष्य से यह दर्शित है कि संबंधित वाहन में वनोत्पाद का परिवहन किया जा रहा था और उसके संबंध में कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, तब पुनरीक्षणकर्ता इस आधार पर अधिहरण की कार्यवाही से नहीं बच सकता कि वह छुई मिट्टी के वनोत्पाद होने के तथ्य से अनभिज्ञ था।

15. इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि मामले में कम्पार्टमेंट नंबर 875ए का कोई नक्शा नहीं बनाया गया है, लेकिन केवल इस आधार पर उपरोक्त साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। संकलित की गई साक्ष्य से यह भी दर्शित है कि वनोत्पाद का प्रथमतः घरों में संग्रहण किया गया था और उसके उपरांत उसे विक्रय के लिए परिवहित किया जा रहा था और इस परिस्थिति से वनोत्पाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि साक्ष्य से यह दर्शित

है कि छुई मिट्टी वन विभाग के स्वामित्व की भूमि से लायी गई थी और ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि किसी निजी भूमि में छुई मिट्टी उपलब्ध है। इसलिए घरों से छुई मिट्टी उस वाहन में परिवहित किये जाने के बावजूद कि मिट्टी निरंतर रूप से वनोत्पाद बनी रहती है।

16. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्क के अनुसार संतोष नामक व्यक्ति ने पटवारी को अपने खेत में जॉच की कार्यवाही नहीं करने दी, लेकिन उसके आधार पर भी यह साबित नहीं माना जा सकता कि यदि वह जॉच की वह कार्यवाही की जाती तो निष्कर्ष पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में होता, क्योंकि उपरोक्तानुसार अधिहरण कार्यवाही के दौरान् उपरोक्तानुसार वन विभाग की ओर से परीक्षित साक्षियों को प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि संतोष के खेत में कोई छुई मिट्टी विद्यमान है। इसलिए पटवारी के द्वारा संतोष की खेत की जॉच नहीं होने से भी पुनरीक्षणकर्ता को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

17. इसलिए इन समस्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता ऐसी कोई परिस्थिति दर्शाने में समर्थ नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलीय अधिकारी का आदेश किसी त्रुटि से ग्रस्त है, बल्कि वह आदेश विधिपूर्ण है और पुष्ट किये जाने योग्य है। अतएव उस आदेश की पुष्टि की जाती है और यह पुनरीक्षण याचिका को सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। पुनरीक्षण याचिका तदनुसार निराकृत।

आदेश खुले न्यायालय में पारित, घोषित, दिनांकित एवम् हस्ताक्षरित किया गया.

Sd/-
(एम.एस.चन्द्रावत)
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन अनुसार टंकित.

Sd/-
(एम.एस.चन्द्रावत)
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.)

आदेश की प्रतिलिपि सहित मूल अभिलेख अधीनस्थ अपीलीय अधिकारी का अभिलेख, वन परिक्षेत्र अधिकारी, उपसम्भाग. मेहदवानी, जिला. डिंडोरी को अग्रेषित:-

(एम. एस. चन्द्रावत)
अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म. प्र.)